

(1) निगरानी / कोलो. / 5983 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुतेजसिंह बनाम गुरुदेवकौर
(2) अपील / एल.आर. / 5264 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुदेवकौर बनाम गुरुतेजसिंह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| | <p align="center">एकल पीठ श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य</p> <p>उपस्थित— (1) निगरानी / कोलो. / 5983 / 2005 में— श्री प्रशान्त सोनी, अभिभाषक प्रार्थी श्री दुनीचन्द, अभिभाषक अप्रार्थी</p> <p>(2) अपील / एल.आर. / 5264 / 2005 में— श्री दुनीचन्द, अभिभाषक अपीलांत श्री प्रशान्त सोनी, अभिभाषक रेस्पो0</p> <p align="center">दिनांक : 28.10.2021</p> <p align="center">निर्णय</p> <p>उक्त निगरानी एवं अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं. 231/2004 में पारित निर्णय दिनांक 15-10-2005 के विरुद्ध क्रमशः नियम 10(2) राजस्थान उपनिवेशन (गंगानहर क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1956 तथा धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषय-वस्तु एवं पक्षकारान समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।</p> <p>संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी करनपुर ने अपने आदेश दिनांक 28-2-81 द्वारा गुरुदयालसिंह पुत्र पूर्णसिंह को चक 31 आरबी। के मु0नं015 के कि0नं0 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की कुल 9 बीघा भूमि का आवंटन किया था। उक्त आदेश के विरुद्ध गुरुतेजसिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 1/81 पेश की जो दिनांक 21-4-82 को स्वीकार की जाकर</p> | WR |

(1) निगरानी / कोलो. / 5983 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुतेजसिंह बनाम गुरुदेवकौर
(2) अपील / एल.आर. / 5264 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुदेवकौर बनाम गुरुतेजसिंह

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| | <p>प्रकरण उपखण्ड अधिकारी करनपुर को रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर उपखण्ड अधिकारी करनपुर ने अपने आदेश दिनांक 17-12-82 के द्वारा गुरुदयालसिंह को भूमि का आवंटन का पात्र नहीं माना और गुरुतेजसिंह को उक्त 9 बीघा भूमि आवंटन करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश दिनांक 17-12-82 के विरुद्ध गुरुदयालसिंह के वारिसान ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर केम्प श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 33/83 पेश की जो दिनांक 17-12-82 को स्वीकार की गई जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोंद दोनों को ही आवंटन का पात्र नहीं माना गया। उक्त निर्णय दिनांक 17-12-82 के विरुद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या 487/83, 477/83 पेश करने पर उक्त दोनों निगरानियां दिनांक 1-12-88 को खारिज की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 5-5-99 द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उभय पक्ष के आवंटन प्रकरण के निस्तारण के निर्देश दिये गये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलांट एवं रेस्पोंद ने उपखण्ड अधिकारी करनपुर के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। उपखण्ड अधिकारी करनपुर ने सुनवाई के पश्चात दिनांक 31.12.2001 को प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिये कि विवादित भूमि स्मालपेच की श्रेणी में आती है, स्मालपेच में आवंटन से राज्य सरकार को आय होगी। उक्त आदेश दिनांक 31-12-2001 के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील संख्या 10/02 एवं 49/02 पेश की गई। दोनों अपीलों का निर्णय दिनांक 14-2-2003 को किया जाकर प्रकरण आवश्यक निर्देशों के साथ निर्णय देने हेतु रिमाण्ड किये गये। प्रकरण रिमाण्ड होने पर उपखण्ड अधिकारी करनपुर ने अपने आदेश दिनांक 14-6-2004 द्वारा गुरुदेवकौर</p> | |

(1) निगरानी / कोलो. / 5983 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुतेजसिंह बनाम गुरुदेवकौर
(2) अपील / एल.आर. / 5264 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुदेवकौर बनाम गुरुतेजसिंह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| | <p>आदि को आवंटन करने के आदेश दिये गये एवं गुरुतेजसिंह एवं बलवंतकौर का प्रार्थना पत्र खारिज दिया। जिसके विरुद्ध गुरुतेजसिंह एवं बलवंतकौर ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 231/2004 प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 15-10-2005 द्वारा गुरुतेजसिंह एवं बलवंतकौर की अपील को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी करनपुर के आदेश दिनांक 14-6-2004 को निरस्त कर दिया एवं पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय देने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी करनपुर को प्रतिप्रेषित किया। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 15-10-2005 के विरुद्ध प्रार्थीगण गुरुतेजसिंह एवं बलवन्तकौर द्वारा निगरानी संख्या 5983/2005 प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 15-10-2005 के विरुद्ध अपीलांट्स गुरुदेवकौर आदि द्वारा अपील संख्या 5264/2005 इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।</p> <p style="text-align: center;">उभय पक्ष की बहस निगरानी एवं अपील पर सुनी गई।</p> <p>प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशान्त सोनी का अपनी निगरानी के संबंध में तर्क है कि निगरानीधीन आदेश विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में पारित किया गया है। मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि विवादग्रस्त भूमि के आवंटन का कौनसा पक्षकार अधिकारी है। गुरुदयालसिंह ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि 31-12-52 के पश्चात उसके पिता की 50 बीघा भूमि में से 16.17 बीघा भूमि जो उसके हिस्से की थी, को उसके भाई बहादुरसिंह ने दिनांक 18-7-62 व 8-7-68 को बेचान कर दी व तहसील सिरसा के ग्राम गदराना की भूमि को</p> | |

(1) निगरानी / कोलो. / 5983 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुतेजसिंह बनाम गुरुदेवकौर
(2) अपील / एल.आर. / 5264 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुदेवकौर बनाम गुरुतेजसिंह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| | <p>उसने स्वयं ने दिनांक 5-6-66 को बेचान कर दी। स्वीकृति अपने आप में एक उत्तम साक्ष्य है एवं उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदयालसिंह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि वह भूमिहीन नहीं है। जहां तक अन्त्योदय परिवार के सदस्य होने का प्रश्न है, गुरुदयालसिंह के धारण में जो 7 बीघा भूमि है, वह उसे अन्त्योदय योजना में ही मिली है। एक व्यक्ति को अन्त्योदय योजना का दोबार फायदा नहीं दिया जा सकता है। यह सब तथ्य रिकार्ड पर मौजूद थे। ऐसे में राजस्व अपील प्राधिकारी रिकार्ड पर मौजूद दस्तावेज व कानूनी पहलू का अवलोकन कर स्वयं अंतिम निर्णय पारित कर सकते थे किन्तु इसके विपरीत राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जो पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 15-10-2005 संशोधित फरमाया जाकर अपील संख्या 231/04 पूर्ण रूप से स्वीकृत फरमाई जावे।</p> <p>अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री दूनीचन्द ने अपनी अपील के संबंध में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। पूर्व में भी इस प्रकरण को चार बार रिमाण्ड किया जा चुका था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पिता के भाई की भूमि को उनकी भूमि में हिस्सा मानकर जानबूझकर गलत निर्णय पारित किया है तथा चयनित परिवार में एक बार लाभ मिलने के बाद दुबारा कोई लाभ नहीं देने का गलत आधार लिया गया है। पूर्व में केवल 7 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था जबकि खिलाफ पार्टी के पास 80 बीघा से अधिक भूमि होने के बाद भी उनको भूमि पाने का पात्र</p> | |

(1) निगरानी / कोलो. / 5983 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुतेजसिंह बनाम गुरुदेवकौर
(2) अपील / एल.आर. / 5264 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुदेवकौर बनाम गुरुतेजसिंह

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| | <p>मानकर जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पिता द्वारा सिरसा जिला में जिस भूमि का बेचान बताया गया है वह केवल 1/3 बीघा भूमि थी, जिसको कोई व्यक्ति काश्त भी नहीं कर सकता है, ऐसे में अपीलांट्स का परिवार भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आता है, जिस पर ध्यान दिये बिना मनमाने तौर पर आदेश पारित किया है, जो पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 15-10-2005 निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने U.J. (S.C.) 1976 pg. 320 का न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किया।</p> <p>उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया।</p> <p>पत्रावली के अवलोकन से स्पष्टतया यह तथ्य प्रकट होता है कि पक्षकारान के मध्य हस्तगत प्रकरण वर्ष 1981 से विवादित है तथा प्रकरण रिमाण्ड होता रहा है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री प्रशान्त सोनी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष समस्त तथ्य रिकार्ड पर मौजूद थे, ऐसे में राजस्व अपील प्राधिकारी रिकार्ड पर मौजूद दस्तावेज व कानूनी पहलू का अवलोकन कर स्वयं अंतिम निर्णय पारित कर सकते थे किन्तु इसके विपरीत राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री दूनीचन्द का भी यह तर्क रहा है कि पूर्व में भी इस प्रकरण को चार बार रिमाण्ड किया जा चुका था तथा पक्षकारान के मध्य विवाद का अंतिम रूप से निरस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में उनके द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत U.J. (S.C.) 1976 pg. 320</p> | |

(1) निगरानी / कोलो. / 5983 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुतेजसिंह बनाम गुरुदेवकौर
(2) अपील / एल.आर. / 5264 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुदेवकौर बनाम गुरुतेजसिंह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| | <p>में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है—</p> <p style="text-align: center;">"Remand- Remand having effect of keeping strife & litigation- Held, it would be wrong & unnatural to allow remand."</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य काफी लम्बे समय से विवाद लम्बित चला आ रहा है, जिससे अनावश्यक पेचीदगियां उत्पन्न हो रही हैं तथा विवाद का निपटारा भी समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 15-10-2005 द्वारा गुरुतेजसिंह एवं बलवंत कौर की अपील को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, करनपुर के आदेश दिनांक 14-6-2004 को निरस्त कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है। हमारी सुविचारित राय में जब अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर समस्त तथ्य एवं दस्तावेज मौजूद थे तो ऐसे में प्रकरण को प्रतिप्रेषित न कर स्वयं अपने स्तर पर दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था, जिससे पक्षकारान के मध्य अनावश्यक रूप से विवाद ना बढे एवं प्रकरण का समुचित रूप से निपटारा हो सके। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने ऐसा न कर प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त दोनों निगरानी संख्या 5983/2005 एवं अपील संख्या 5264/2005 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-10-2005 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी</p> | |

(1) निगरानी / कोलो. / 5983 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुतेजसिंह बनाम गुरुदेवकौर
(2) अपील / एल.आर. / 5264 / 2005 / श्रीगंगानगर
गुरुदेवकौर बनाम गुरुतेजसिंह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| | <p>श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त Observation के परिपेक्ष्य में पक्षकारान को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में समग्र रूप से परीक्षण, विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 30-11-2021 को उपस्थित हों। तहत का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित) सदस्य</p> | |